पुनरीक्षण सिविल

प्रेम चंद पंडित,नयायाधिपती,के सामने

ब्रिज भूषण लाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

मुख्य अभियंता, आदि,-प्रतिवादी।

1971 का नागरिक संशोधन संख्या 273।

12 जनवरी 1972.

मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) अधिनियम (1940 का X)—धारा 8—मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौता किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है—ऐसी नियुक्ति के लिए पार्टियों की पूर्व सहमति प्रदान नहीं की जाती है—धारा 8—क्या लागू होगी?

निर्धारित किया गया कि मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) अधिनियम 1940 की धारा 8 के अवलोकन से पता चलता है कि जहां एक मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि पार्टियों की सहमति से नियुक्त मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को संदर्भ दिया जाएगा और यदि वे उक्त नियुक्ति में सहमत नहीं हैं, तो कोई भी उनमें से दूसरे पक्ष को नियुक्ति में सहमति देने के लिए लिखित नोटिस दे सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष उस नोटिस की तामील के 15 स्पष्ट दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो नोटिस देने वाले पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर न्यायालय दूसरे पक्ष को सुनने के बाद मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। यह धारा तभी लागू होती है जब मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौता विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) के रूप में वास्तविक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि पक्ष केवल उस व्यक्ति या प्राधिकारी से सहमत हों जो बाद में मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करेगा, भले ही उसे विशेष व्यक्ति का उल्लेख करते हुए केवल उसी को नियुक्त करने के लिए कहा जाए जिसके पास कुछ विशेष योग्यताएं हों। इसलिए जहां एक मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौता किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है और ऐसी नियुक्ति के लिए पार्टियों की पूर्व सहमति प्रदान नहीं की जाती है, अधिनियम की धारा 8 लागू नहीं होगी।

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, अम्बाला के आदेश में संशोधन हेतु। दिनांक 16 जनवरी, 1971 को याचिका खारिज करते हुए,

याचिकाकर्ता के वकील एस.के. जैन।

उत्तरदाताओं की ओर से जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा, अशोक भान, अधिवक्ता के साथ।

निर्णय

पंडित, नयायाधिपती -(1) इस पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य ये हैं। 27 जुलाई, 1968 को, अंबाला छावनी में सेना के अधिकारियों के लिए कुछ गैरेज के निर्माण के लिए ब्रज भूषण लाई, ठेकेदार और भारतीय संघ, माननीय नंबर 2, के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर, ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन निर्माण के दौरान, जून, 1969 में, कुछ गैरेज का निर्मित हिस्सा बारिश और तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 जुलाई, 1969 को, मुख्य अभियंता, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रतिवादी नंबर 1 ने ठेकेदार को शेष निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा और अगस्त, 1969 में, उन्होंने ठेकेदार को गैरेज को हुए नुकसान को अपनी कीमत पर ठीक करने के लिए कहा। इस पर ठेकेदार ने जवाब दिया कि यह क्षति उसकी ओर से किसी दोषपूर्ण निर्माण के कारण नहीं हुई है, बल्कि यह नुकसान कमांडर इंजीनियर द्वारा उसे दिए गए डिजाइन में खराबी के कारण हुआ है। हालाँकि, यदि सरकार इसकी अतिरिक्त लागत का भुगतान करने के लिए तैयार थी तो वह आवश्यक मरम्मत करने के लिए तैयार थे। 19 सितंबर, 1969 को मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को लिखा कि यदि उसने अपनी लागत पर उक्त मरम्मत करने से इनकार कर दिया, तो उसका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा जो भी अतिरिक्त लागत खर्च की जाएगी उससे वसूली की जाए। 26 सितंबर, 1969 को, मुख्य अभियंता ने फिर से ठेकेदार को आवश्यक मरम्मत करने के लिए कहा, जिसके लिए ठेकेदार के अनुसार 64,500 रुपये खर्च करने पड़ते। जवाब में ठेकेदार ने कहा कि यदि उसे उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाये तो वह काम कर देगा। इस अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होने के बजाय, 27 अक्टूबर, 1969 को भारत संघ द्वारा अनुबंध रद्द कर दिया गया। चूंकि ठेकेदार और भारत संघ के बीच 11 नवंबर, 1969 को विवाद उत्पन्न हुआ, प्रदर्शनी ने ए-8 के अनुसार , मुख्य अभियंता से मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने के लिए कहा। जवाब में, इंजीनियर ने 19 नवंबर, 1969 को ठेकेदार को सूचित किया कि समझौते में मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) खंड की शर्तों को ध्यान में रखते

हुए, अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त नहीं किया जा सकता था। ठेकेदार सरकार द्वारा मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) खंड पर की गई व्याख्या से सहमत नहीं था और उसके अनुसार, मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति और विवाद को उसके पास भेजने के बीच अंतर था। उक्त नियुक्ति सरकार द्वारा पहले, निर्दिष्ट समय के भीतर, विवाद के संदर्भ में की जा सकती थी। उसे बाद में तब बनाया जा सकता था जब उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया हो। दूसरी ओर, सरकार ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और अपने पहले के रुख को दोहराया कि किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से काम पूरा कराने के लिए सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति भी नहीं की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा 24 अप्रैल, 1970 को अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत याचिका दायर की गई। उस याचिका में, प्रार्थना की गई थी कि चूंकि मुख्य अभियंता एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने में विफल रहे थे, इसलिए, संदर्भ समझौते को दायर करने का निर्देश दिया जाए और पार्टियों के बीच विवाद के बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त किया जाए।

(2) इस याचिका का भारत संघ और मुख्य अभियंता द्वारा कई दलीलों पर विरोध किया गया, जिसके कारण निम्नलिखित मुद्दे तय हुए: -

> "1. क्या प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने में विफल रहा और अब उसने मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने का अधिकार खो दिया है?
>
> 2. क्या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त किया जाना है?"

(3) उत्तरदाताओं द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि मुख्य अभियंता ने 13 मई, 1970 को पहले ही एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त कर दिया था, और इसलिए, यह याचिका झूठी नहीं थी और इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए।

(4) ट्रायल जज ने माना कि अधूरे काम को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था अप्रैल, 1970 में पूरी की गई और, परिणामस्वरूप, मुख्य अभियंता द्वारा मई, 1970 के मध्य में मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति पूरी तरह से कानूनी थी। इसलिए, सरकार ने इस आधार पर मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त

करने का अपना अधिकार नहीं खोया था कि उसने निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया था। परिणामस्वरूप, न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के तहत नियुक्ति नहीं कर सका। मुद्दे नंबर 1 पर इस निष्कर्ष के मद्देनजर, विद्वान न्यायाधीश ने मुद्दे नंबर 2 के तहत माना कि, इस तथ्य के बावजूद कि मुख्य अभियंता द्वारा मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति से पहले ठेकेदार द्वारा याचिका दायर की गई थी। इन निष्कर्षों पर याचिका खारिज कर दी गई, न्यायालय के पास मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था । इस आदेश के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दो तर्कों को संबोधित किया गया है। पहले उदाहरण में, यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते के खंड 70 के तहत, हालांकि मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) का संदर्भ किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से काम पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 1969 (प्रदर्शन ए-8) के पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। उक्त पत्र ठेकेदार द्वारा मुख्य अभियंता को एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने के लिए कहते हुए लिखा गया था और विद्वान वकील के अनुसार, यह उन्हें 13 से 18 नवंबर, 1969 के बीच और 18 नवंबर, 1969 से 15 दिनों की गिनती के बीच प्राप्त हुआ था। सरकार द्वारा मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति 3 दिसंबर, 1969 को या उससे पहले की जा सकती थी। माना जाता है कि उक्त नियुक्ति, 13 मई, 1970 को की गई थी, जो कानून के विपरीत थी। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत याचिका दायर करने के बाद, मुख्य अभियंता किसी मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को नियुक्त नहीं कर सकते थे, विद्वान वकील द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि खंड 70 के अनुसार, संदर्भ के बाद संदर्भ दिया जाना था। अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मामले में, , माना जाता है, 3 अप्रैल, 1970 को कथित व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया था। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार नियुक्ति, किसी भी दर पर, 3 अप्रैल, 19570 के 15 दिनों के भीतर की जा सकती थी, और उससे अधिक नहीं। अर्थात्, नियुक्ति 18 अप्रैल, 1970 को या उससे पहले की जानी थी। उक्त नियुक्ति 13 मई, 1970 को की गई थी, इसलिए, समझौते में मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) खंड और अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रावधानों के अनुसार नहीं थी और ऐसा होने पर, सरकार ने मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने का अपना अधिकार खो दिया था और केवल न्यायालय ही था, जो अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसा कर सकता था।

(6) विद्वान वकील के दोनों तर्कों से यह देखा जाएगा कि वह उन्हें इस धारणा पर आधारित कर रहा है कि अधिनियम की धारा 8 इस मामले पर लागू होती है। मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति में सहमति के लिए विपरीत पक्ष को नोटिस की तामील के बाद 15 दिनों की सीमा केवल इस खंड में दी गई है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील का कहना है कि धारा 8 का तत्काल मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। यदि उनका तर्क सही है तो जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता के वकील की दोनों दलीलों में कोई दम नहीं है। इसलिए निर्णय लेने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 8 इस मामले में लागू होती है या नहीं।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के समक्ष उत्तरदाताओं का मामला कभी नहीं था या याचिका के जवाब में उन्होंने कहा था कि अधिनियम की धारा 8 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है। विद्वान वकील के अनुसार, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि यह धारा लागू होती है और इसी आधार पर निचली अदालत में बहस आगे बढ़ी और ट्रायल जज के फैसले में यह भी माना गया कि धारा 8 वर्तमान मामले में लागू होती है। जैसा भी हो, यह एक शुद्ध कानूनी बिंदु है और मेरी राय में, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने के अपने अधिकार में हैं कि धारा 8 इस मामले की परिस्थितियों में लागू होती है।

(8) इस बिंदु को तय करने के लिए, अधिनियम की धारा 8 और मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते के खंड 70 का संदर्भ देना होगा।

धारा 8 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

"8. (1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में-

(ए) जहां एक मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में यह प्रावधान है कि संदर्भ पार्टियों की सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एक या अधिक मध्यस्थों के लिए होगा, और मतभेद उत्पन्न होने के बाद सभी पार्टियां नियुक्ति या नियुक्तियों में सहमत नहीं होती हैं; या

(बी) * * * *

(सी) $ $ $ $

कोई भी पक्ष अन्य पक्षों या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति या नियुक्तियों या रिक्ति की आपूर्ति में सहमति देने के लिए लिखित नोटिस दे सकता है।

(2) यदि उक्त नोटिस की तामील के बाद पंद्रह स्पष्ट दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो न्यायालय, नोटिस देने वाले पक्ष के आवेदन पर और अन्य पक्षों को सुनवाई का अवसर

देने के बाद, एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त कर सकता है। या मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) या अंपायर, जैसा भी मामला हो, जिसके पास संदर्भ में कार्य करने और निर्णय देने की समान शक्ति होगी जैसे कि उन्हें सभी पक्षों की सहमति से नियुक्त किया गया हो।"

खंड 70 का प्रासंगिक भाग इन शर्तों में है: "मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) -सभी विवाद, अनुबंध के पक्षों के बीच, (उन विवादों को छोड़कर जिनके लिए कमांडर वर्क्स इंजीनियर या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अनुबंध द्वारा व्यक्त किया गया है) अंतिम और बाध्यकारी होगा, अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा लिखित सूचना के बाद उनमें से अन्य को निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक इंजीनियर अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा।

जब तक पार्टियां अन्यथा सहमत न हों, ऐसा संदर्भ कार्य के पूरा होने, कथित समापन या परित्याग या अनुबंध के निर्धारण के बाद तक नहीं होगा।

* * * *

बशर्ते कि शर्तों संख्या 52 53 या 54 के तहत कार्यों को छोड़ने या अनुबंध को रद्द करने की स्थिति में, ऐसा संदर्भ तब तक नहीं होगा जब तक कि अन्य ठेकेदार के माध्यम से कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।"

(9) धारा 8 के अवलोकन से पता चलेगा कि एक मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में, जहां यह प्रावधान किया गया है कि संदर्भ एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को दिया जाएगा जिसे पार्टियों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा और यदि वे नियुक्ति से सहमत नहीं हैं, तो उनमें से कोई भी नियुक्ति में सहमति के लिए दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है और यदि दूसरा पक्ष उस नोटिस की सेवा के बाद 15 स्पष्ट दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो न्यायालय को एक आवेदन पर अधिकृत किया जाता है। यह उस पक्ष द्वारा किया गया जिसने दूसरे पक्ष को सुनने के बाद मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने का नोटिस दिया था।

(10) मौजूदा मामले में, पार्टियों की सहमति से कोई मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त नहीं किया जाना था। मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाना था, जो माना जाता है कि मुख्य अभियंता, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रतिवादी नंबर 1 था, और वह भी

केवल एक इंजीनियर अधिकारी को नियुक्त कर सकता था। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अनुबंध दिए जाने की लिखित सूचना के बाद उसके द्वारा नियुक्ति की जानी थी। जैसा कि मैंने कहा है, मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को पार्टियों की सहमति से नियुक्त नहीं किया जाना था, जो धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए एक आवश्यक शर्त थी। यदि दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक नहीं थी, तो किसी भी मतभेद का प्रश्न उनके बीच कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ। धारा 8(1) (ए) में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में कहा गया था कि मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति पार्टियों की सहमति से की जाएगी और यदि उस स्थिति में दोनों पक्ष नियुक्ति के लिए सहमत नहीं हैं एपी मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) और मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप, उनमें से एक ने विपरीत पक्ष को एक मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) का नाम देते हुए एक लिखित नोटिस दिया और दूसरे पक्ष को उक्त नियुक्ति में सहमति देने के लिए कहा और यदि नियुक्ति के बाद 15 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की गई। नोटिस की तामील के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को नोटिस देने वाले पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त थी। मौजूदा मामले में यह स्थिति नहीं है। खंड 70 के आधार पर, विवाद को एकमात्र मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) के पास भेजा जाना था, जो एक इंजीनियर अधिकारी होना था और उसे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1, द्वारा नियुक्त किया जाना था और यह नियुक्ति अनुबंध के एक पक्ष द्वारा विपरीत पक्ष को लिखित सूचना दिए जाने के बाद की जानी थी।

(11) मैंने जो विचार अपनाया है, उसे ***सी. राजा बनाम भारत संघ***[1] मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले में समर्थन मिलता है, जहां यह देखा गया था:

"धारा 8 (1) का खंड (ए) अदालत को पार्टियों के ऐसा करने में विफल रहने पर मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की शक्ति देता है, यदि (ए) कोई वैध मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौता है; (बी) पार्टियों की सहमति से मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में प्रावधान है; और (सी) सभी पार्टियां मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति में सहमत नहीं हैं और पार्टियों को जम्मू और कश्मीर मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) अधिनियम के धारा 8 और 42 के तहत नोटिस दिया गया था।

[1] A.I.R. 1957 J. & K.217

जहां मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते के खंड में यह प्रावधान है कि केवल एक पक्ष के पास ही मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की शक्ति है, वहां दूसरे पक्ष की सहमति या सहमति न होना कोई मायने नहीं रखता।"

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में पार्टियों द्वारा यह प्रदान किया गया था कि मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति उक्त समझौते में नामित किसी विशेष व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो इसे इस तरह लिया जाएगा जैसे कि मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति पार्टियों की सहमति से की जानी थी। दूसरे शब्दों में, उस समझौते में ही पक्षों की पूर्व सहमति दी गई थी। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने ***भारत संघ बनाम डी.पी. सिंह***[2] मामले में पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह कहा गया था:

"धारा 8 (1) (ए) के तहत एक आवेदन कायम रखने योग्य है जहां मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते के तहत एकमात्र मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करने की एकमात्र शक्ति रखने वाली पार्टी ऐसा करने के लिए कहे जाने पर नियुक्ति करने में विफल रहती है, भले ही समझौते में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं किया गया हो कि नियुक्ति दोनों पक्षों की सहमति से की जानी चाहिए । ऐसे मामले में यह मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में ही अंतर्निहित है कि जिस पक्ष को उसे नियुक्त करने की एकमात्र शक्ति दी गई है, उसके द्वारा मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) का नामांकन दोनों पक्षों की सहमति से किया गया माना जाएगा और इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि कोई स्पष्ट प्रावधान किया जाए कि नियुक्ति पार्टियों की सहमति से की जानी चाहिए। इस तरह के प्रभाव के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो सकता है लेकिन किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में भी, ऐसे प्रावधान को आवश्यक रूप से निहित माना जाना चाहिए।"

धारा 8 में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा पर, जिसे मैंने ऊपर उद्धृत किया है, मैं सम्मान के साथ कहता हूं, मैं इस खंड पर पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई व्याख्या से सहमत नहीं हूं। धारा 8(एल)(ए) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी आकर्षित होगा जब मध्यस्थता(आर्बिट्रेशन) समझौते में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया हो कि मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) के रूप में वास्तविक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं होगा यदि पक्ष केवल उस व्यक्ति या प्राधिकारी से सहमत हों जो बाद में मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) नियुक्त करेगा, भले ही बिना किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख किए उसे केवल उसी को नियुक्त करने के लिए कहा जाए, जिसके पास कुछ विशेष योग्यताएं हों। यह कहा जा सकता है कि इस निर्णय पर ***भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल दास एंड कंपनी***[3] में इलाहाबाद

[2] A.I.R. 1961 Patna 228
[3] 1966 A.L.J. 518

उच्च न्यायालय के एक फैसले में भी संदेह किया गया था, जहां पटना प्राधिकारी को उद्धृत करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

पूरे सम्मान के साथ मुझे संदेह है कि क्या महाप्रबंधक द्वारा एकमात्र मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) के रूप में नियुक्त या नामांकित व्यक्ति को कानून की नजर में पार्टियों की सहमति से नियुक्त मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) माना जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि पार्टियों ने सहमति व्यक्त की थी कि विवाद का निर्णय महाप्रबंधक द्वारा नामित या नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) को पार्टियों की सहमति प्राप्त किए बिना महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त या नामांकित किया जाता है, हालांकि उनमें से कोई भी मध्यस्थ(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है। * * * *'*

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यू***नियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स, न्यू इंडिया कंस्ट्रक्टर्स, दिल्ली और अन्य***[4] मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। हालाँकि, उस प्राधिकारी के अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रकार के मामले में धारा 8 लागू होती है या नहीं, यह सटीक मुद्दा वास्तव में वहाँ नहीं उठाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मान लिया गया था कि धारा 8 लागू थी।

(14) इसलिए, मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 8 का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

(15) जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है; ठेकेदार द्वारा अधिनियम की धारा 8 और 20 दोनों के तहत याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील मानते हैं कि यदि मेरा निष्कर्ष यह है कि धारा 8 का कोई अनुप्रयोग नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही मान चुका हूं, तो वह अधिनियम की धारा 20 के तहत अपनी याचिका पर जोर नहीं देते हैं।

[4] A.I.R. 1955 Pb. 17

(16) परिणाम यह है कि इस मामले की परिस्थितियों के कारण यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, हालांकि, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा